

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/EC-27वीं/2018/3860

दिनांक: 7/6/18

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

विषय :-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 27वीं बैठक
दिनांक 01.06.2018 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 01.06.2018 को आयोजित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 27वीं बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव/प्रतिनिधि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख शासन सचिव/प्रतिनिधि, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया, जयपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. निदेशक, महिला सशक्तिकरण विभाग, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान-बीकानेर।
11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान-बीकानेर।
12. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, डॉ. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
15. अध्यक्ष, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।

17. सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
18. श्रीमती शकुन्तला गट्टानी, प्रान्तीय सह मंत्री, जनजाति शिक्षा, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर।
19. श्री जगदीश कुलमी, प्रान्तीय प्रकल्प प्रमुख, जनजाति शिक्षा, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर।
20. श्री चतुर्भुज महावर, से.नि. उपनिदेशक (शिक्षा), बून्दी।
21. श्रीमती रचना आसोपा, जी.डी. कॉलेज, अलवर।
22. श्री रामअवतार, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, बून्दी।
23. श्रीमती इन्दिरा शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, बून्दी।
24. श्री रामलाल जाट, प्रधान, अरांई, जिला अजमेर।
25. रेखा मीणा, प्रधान, पावटा जिला जयपुर।
26. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
27. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
28. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
29. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), रामाशिप, जयपुर।
30. अधिक्षण अभियंता, रामाशिप, जयपुर।
31. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से संबंधित अनुपालना सुनिश्चित करें।
32. उपनिदेशक/शाला दर्पण/सी.एस.आर प्रभारी कार्यालय उपनिदेशक मा.शि. संकुल, जयपुर।
33. एम.आई.एस प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद की वैब पोर्टल पर अपलोड करावें।
34. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, अजमेर।
35. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, जयपुर।
36. प्राचार्य, उच्चतर अध्ययन शिक्षण संस्थान (IASE), अजमेर।
37. प्राचार्य, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (CTE), जयपुर।
38. कार्यालय प्रति।


राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निष्पादक समिति की 27वीं बैठक
दिनांक 01.06. 2018 का कार्यवाही विवरण

क्रम संख्या	विवरण	निर्णय																																																																																							
1	प्रस्ताव संख्या- 01 निष्पादक समिति की दिनांक 19.01.2018 को आयोजित 26वीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदन किया गया।																																																																																							
2	प्रस्ताव संख्या-02 समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के लिए 934857.21लाख रुपये की गतिविधिवार वार्षिक कार्ययोजना प्रस्ताव <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.No.</th><th>Category</th><th>Fin. Amount</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Civil Works Construction</td><td>152711.79</td></tr> <tr><td>2</td><td>Residential Schools</td><td>349.06</td></tr> <tr><td>3</td><td>Residential Hostel</td><td>5967.08</td></tr> <tr><td>4</td><td>Transport & Escort facility</td><td>17954.08</td></tr> <tr><td>5</td><td>Uniforms</td><td>33425.15</td></tr> <tr><td>6</td><td>Text books</td><td>19195.68</td></tr> <tr><td>7</td><td>RTE Reimbursement</td><td>23581.55</td></tr> <tr><td>8</td><td>Spl training for out of school children</td><td>531.29</td></tr> <tr><td>9</td><td>Media & Community Mobilization</td><td>3003.89</td></tr> <tr><td>10</td><td>Quality Components</td><td>2583.49</td></tr> <tr><td>11</td><td>Innovation Head</td><td>30900.59</td></tr> <tr><td>12</td><td>LEP</td><td>9970.49</td></tr> <tr><td>13</td><td>Assesment Survey (REMS)</td><td>650.25</td></tr> <tr><td>14</td><td>Annual Grant</td><td>26213.00</td></tr> <tr><td>15</td><td>Libraries</td><td>6178.04</td></tr> <tr><td>16</td><td>RashtriyaAavishkarAbhiyaan</td><td>677.40</td></tr> <tr><td>17</td><td>ICT</td><td>37820.22</td></tr> <tr><td>18</td><td>Shala Darpen</td><td>542.00</td></tr> <tr><td>19</td><td>ECCE</td><td>9474.54</td></tr> <tr><td>20</td><td>Teacher Education</td><td>35374.48</td></tr> <tr><td>21</td><td>Provision for BRC/URC</td><td>22031.16</td></tr> <tr><td>22</td><td>Additional grant to BRC / URC</td><td>75537.00</td></tr> <tr><td>23</td><td>Provision for CRC</td><td>5454.80</td></tr> <tr><td>24</td><td>Teacher Salary</td><td>286414.80</td></tr> <tr><td>25</td><td>KGBV</td><td>65775.45</td></tr> <tr><td>26</td><td>Inclusive Education</td><td>3316.14</td></tr> <tr><td>27</td><td>Vocational Education</td><td>23279.74</td></tr> <tr><td>28</td><td>SDMIS and Shala Kosh</td><td>374.41</td></tr> </tbody> </table>	S.No.	Category	Fin. Amount	1	Civil Works Construction	152711.79	2	Residential Schools	349.06	3	Residential Hostel	5967.08	4	Transport & Escort facility	17954.08	5	Uniforms	33425.15	6	Text books	19195.68	7	RTE Reimbursement	23581.55	8	Spl training for out of school children	531.29	9	Media & Community Mobilization	3003.89	10	Quality Components	2583.49	11	Innovation Head	30900.59	12	LEP	9970.49	13	Assesment Survey (REMS)	650.25	14	Annual Grant	26213.00	15	Libraries	6178.04	16	RashtriyaAavishkarAbhiyaan	677.40	17	ICT	37820.22	18	Shala Darpen	542.00	19	ECCE	9474.54	20	Teacher Education	35374.48	21	Provision for BRC/URC	22031.16	22	Additional grant to BRC / URC	75537.00	23	Provision for CRC	5454.80	24	Teacher Salary	286414.80	25	KGBV	65775.45	26	Inclusive Education	3316.14	27	Vocational Education	23279.74	28	SDMIS and Shala Kosh	374.41	अनुमोदन किया गया।
S.No.	Category	Fin. Amount																																																																																							
1	Civil Works Construction	152711.79																																																																																							
2	Residential Schools	349.06																																																																																							
3	Residential Hostel	5967.08																																																																																							
4	Transport & Escort facility	17954.08																																																																																							
5	Uniforms	33425.15																																																																																							
6	Text books	19195.68																																																																																							
7	RTE Reimbursement	23581.55																																																																																							
8	Spl training for out of school children	531.29																																																																																							
9	Media & Community Mobilization	3003.89																																																																																							
10	Quality Components	2583.49																																																																																							
11	Innovation Head	30900.59																																																																																							
12	LEP	9970.49																																																																																							
13	Assesment Survey (REMS)	650.25																																																																																							
14	Annual Grant	26213.00																																																																																							
15	Libraries	6178.04																																																																																							
16	RashtriyaAavishkarAbhiyaan	677.40																																																																																							
17	ICT	37820.22																																																																																							
18	Shala Darpen	542.00																																																																																							
19	ECCE	9474.54																																																																																							
20	Teacher Education	35374.48																																																																																							
21	Provision for BRC/URC	22031.16																																																																																							
22	Additional grant to BRC / URC	75537.00																																																																																							
23	Provision for CRC	5454.80																																																																																							
24	Teacher Salary	286414.80																																																																																							
25	KGBV	65775.45																																																																																							
26	Inclusive Education	3316.14																																																																																							
27	Vocational Education	23279.74																																																																																							
28	SDMIS and Shala Kosh	374.41																																																																																							

Signature

	29	MMER	35569.68	
		Sub Total	934857.21	
			(Rs. in lakh)	
		अतः निष्पादक समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।		
3	प्रस्ताव संख्या -03			
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति का वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया।			
	अतः निष्पादक समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है			अनुमोदन किया गया।
4	प्रस्ताव संख्या-04			
	राज्य में संचालित किये जा रहे मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु वर्तमान में फील्ड की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु गठित शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 20.02.2018 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-04 के अनुसार वर्तमान में मॉडल स्कूलों में एक कनिष्ठ लिपिक (क. सहायक) एवं वरि. लिपिक (वरि. सहायक) के पद स्वीकृत है। वर्तमान में 134 वरि. लिपिक के विरुद्ध केवल 66 वरि. लिपिक कार्यरत है। माध्यमिक शिक्षा में उच्च मा.विद्यालयों में छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर एक कनिष्ठ सहायक व एक वरिष्ठ सहायक अथवा सहायक कार्यालय अधीक्षक (Assistant Administrative Officer) का पद स्वीकृत है। सत्र 2018-19 में 71 मॉडल स्कूलों में प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थी संख्या 560 से अधिक होने की संभावना है। अतः मॉडल विद्यालयों में वरि. सहायक के स्वीकृत पद पर वरि. सहायक अथवा सहायक कार्यालय अधीक्षक दोनों में से एक को प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र माना जाये (संलग्न बैठक कार्यवृत्त दिनांक 20.02.2018 ध्वज-ए)।			अनुमोदन किया गया।
5	प्रस्ताव संख्या-05			
	राज्य में संचालित किये जा रहे मॉडल स्कूलों के सफल संचालन एवं गुणात्मक उन्नयन हेतु वर्तमान में फील्ड की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की नीति/योजना/सुझाव तैयार करने हेतु गठित शैक्षणिक कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 20.02.2018 को आयोजित की गई। बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-17 के अनुसार विद्यालय में भवन परिसर व छात्र संख्या बढ़ जाने के कारण एक अतिरिक्त सहायक कर्मि का पद बढ़ाया जाये। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार 71 मॉडल स्कूलों में REXCO/होम गार्ड के माध्यम से (निर्धारित दरों पर) अथवा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार अनुबन्ध पर तथा 63 मॉडल स्कूलों में Through out sourcing of job as per RTPP Act/Rules (No contractual appointment) 04 सहायक सेवाएँ स्वीकृत है (संलग्न आदेश ध्वज-बी व सी)। अतः दो मंजिला भवन तथा छात्र संख्या बढ़ने की स्थिति को देखते हुए एक अतिरिक्त सहायक सेवा की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।			प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।

अनुमोदित

6	प्रस्ताव संख्या-06 रामाशिप. के पत्र क्रमांक-1086 दिनांक 22.02.2017 द्वारा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के आदेश क्रमांक-35427 दिनांक 02.03.2016 के अनुसार) अन्य राजकीय विद्यालयों के समान क्षेत्रीय/जिला/राज्य स्तरीय विद्यालयी खेल-कूद प्रतियोगिता/प्रशिक्षण शिविर हेतु खिलाड़ियों को वर्तमान में देय 100/- रु. प्रति दिवस की गणना से दैनिक भत्ता व खुराक भत्ता प्रति खिलाड़ी प्रति दिन सम्बन्धित विद्यालय द्वारा देय है (संलग्न ध्वज-डी) । परन्तु सीबीएसई द्वारा आयोजित विद्यालयी खेल-कूद प्रतियोगिताओं में आवास एवं भोजन हेतु प्रति विद्यार्थी प्रति दिवस 350/- रु. निर्धारित है (ध्वज-ई)। मॉडल विद्यालय सीबीएसई से सम्बद्धता प्राप्त है। अतः सीबीएसई द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु मॉडल विद्यालयों को सीबीएसई द्वारा निर्धारित आवास एवं भोजन व्यय हेतु स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त व्यय गतिविधि मद में से किया जा सकेगा।	अनुमोदन किया गया।
7	प्रस्ताव संख्या-07 सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण घटक है। इस परिप्रेक्ष्य में संस्थाप्रधानों के लीडरशिप, वरिष्ठ अध्यापकों के विषयगत आवासीय प्रशिक्षण कराये जाते हैं। इन प्रशिक्षणों में दक्ष प्रशिक्षक विद्यालयों के व्याख्याता/संस्थाप्रधान होते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में वर्तमान में आयोजित प्रशिक्षणों में दक्ष प्रशिक्षणों में दक्ष प्रशिक्षकों का मानदेय 400/- रुपये प्रति दिन है। ये दक्ष प्रशिक्षक वरिष्ठ अध्यापकों तथा संस्थाप्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। (संलग्न आदेश क्रमांक :- रामाशिप/जय/प्रशिक्षण/2018/3205 दिनांक 3/05/2018) राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी आदेश में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का मानदेय 800/- रुपये प्रतिदिन रखा गया है। ये प्रशिक्षण L-1, L-2 शिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। (संलग्न : आदेश क्रमांक : रामाशिप/जय/प्रशिक्षण/दिशा-निर्देश/2018-19/1145 दिनांक 02.05.2018) चूंकि सत्र 2018-19 में समस्त प्रकार के शिक्षकों का प्रशिक्षण TE/SIERT द्वारा किया जाना है तथा वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के प्रशिक्षण चल रहे हैं। अतः समस्त MT/KRP का मानदेय समान रूप से 800/- रुपये प्रति दिन प्रति MT/KRP किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त के संदर्भ में दक्ष प्रशिक्षकों के मानदेय में उपरोक्तानुसार वृद्धि हेतु प्रस्ताव निष्पादक समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।

अभि

8	प्रस्ताव संख्या-08 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत पीएबी 2017-18 में 5.7 में दक्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भौतिक लक्ष्य 462 तथा वित्तीय लक्ष्य 6.93 लाख अनुमोदित किया गया था। इनमें से 179 दक्ष प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण सत्रारम्भ में करवा लिया गया था। आईसीटी का विषयवस्तु में अधिकतम प्रयोग की दृष्टि से नवनिर्मित मॉड्यूल आधारित दक्ष प्रशिक्षकों 462 की आवश्यकता होने से शेष 179 दक्ष प्रशिक्षकों का बजट व्यय 2,68,500 /- रुपये ट्रेनिंग के उपमद शिक्षक प्रशिक्षण से पुनर्वियोजन करवाये जाने हेतु निष्पादक समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
9	प्रस्ताव संख्या-09 माननीया मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत 199 पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को एण्ड्राइड फोन वितरित किये गये। लाभार्थियों द्वारा एण्ड्राइड फोन के अधिकतम उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिये जाने बाबत पी.ए.बी. 2017-18 में कोई राशि स्वीकृत नहीं थी अतः सत्र 2017-18 में दिव्यांगों हेतु कृत्रिम अंग-उपकरण के लिए पी.ए.बी में स्वीकृत कुल राशि 84 लाख में बचत राशि 27.51 लाख/- रु में से इस गतिविधि में व्यय 5.97 लाख/-रु की राशि को एण्ड्राइड फोन प्रशिक्षण हेतु पुनर्विनियोजित (Reappropriate) करवाये जाने हेतु निष्पादक समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
10	प्रस्ताव संख्या-10 पी.ए.बी. 2017-18 में कुल 200 पूर्णतः दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी 6500/-रु की राशि के अनुसार कुल 1300000/-रु की राशि स्वीकृत थी परन्तु जिलों से प्राप्त मांग अनुसार कुल 217 विद्यार्थियों को ब्रैल पुस्तकें प्रदान की गई इन पुस्तकों के प्रकाशन एवं वितरण हेतु राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ द्वारा कुल 1733900/-रु का बिल प्रस्तुत किया गया जिसका आंशिक भुगतान फर्म को किया जा चुका है। अंग-उपकरण वितरण हेतु स्वीकृत कुल राशि 84 लाख में से एलिम्को को कृत्रिम अंग उपकरणों के भुगतान बाबत दी गई राशि 56.19 लाख रु के पश्चात् बचत राशि (27.81 लाख) में से राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ द्वारा प्रस्तुत बिल की अधिशेष राशि 433900/-रु का भुगतान करवाया जाने हेतु पुनर्विनियोजित करवाये जाने हेतु निष्पादक समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।
11	प्रस्ताव संख्या-11 पी.ए.बी. 2017-18 की गतिविधियों के अन्तर्गत असिस्टिव डिवाइसेज हेतु कुल 200 विद्यार्थियों हेतु 1.80 लाख/-रु की राशि स्वीकृत थी इस गतिविधि के अन्तर्गत लो विजन विद्यार्थियों को चश्में प्रदान किये गये जिलों से प्राप्त कुल मांग पी.ए.बी. में स्वीकृत संख्या से अधिक होने के कारण कुल 399 CWSN विद्यार्थियों को चश्में प्रदान करने हेतु कुल 284500/- रु राशि जिलों को जारी कि गई। इस हेतु पी.ए.बी. में स्वीकृत 1.80 लाख/-रु राशि से अधिक व्यय की गई 104500/-रु राशि का अंग-उपकरण वितरण हेतु स्वीकृत कुल राशि 84 लाख में से एलिम्को को कृत्रिम अंग उपकरणों के भुगतान बाबत दी गई राशि 56.19 लाख रु के पश्चात्	अनुमोदन किया गया।

अनुमोदित

	बचत राशि (27.81 लाख) में से पुनर्विनियोजित करवाये जाने हेतु निष्पादक समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	
12	प्रस्ताव संख्या-12 निष्पादक समिति की प्रस्तावित आगामी बैठक में लेखा शाखा सम्बन्धी एजेण्डा निम्नानुसार है :- 1. मैसर्स एच.जे. एसोसिएट्स सी.ए. फर्म के अनुबंध में अभिवृद्धि :- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में संचालित समस्त योजनाओं का वैधानिक अंकेक्षण वर्ष 2016-17 की अवधि हेतु एच. जे. एसोसिएट्स, सी.ए. फर्म से कराये जाने के लिए राशि 960000 + Tax (if applicable) दर पर अनुबंध किया गया था, इस अवधि की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किये जा चुके हैं। Manual for Financial and Procurement for RMSA के अनुच्छेद 7.1.9 के अनुसार एक ही सी.ए. फर्म को तीन साल तक की अवधि तक सनदी अंकेक्षण का कार्य दिया जा सकता है एवं उक्त फर्म से हुए अनुबंध की शर्त संख्या 8 के अनुसार संतोषप्रद सेवा होने पर पारस्परिक सहमति से अनुबंध की अवधि में अभिवृद्धि की जा सकती है। अतः मैसर्स एच.जे. एण्ड एसोसिएट्स सी.ए. फर्म से प्राप्त आवेदन पर आपसी सहमति से वर्ष 2017-18 के वैधानिक अंकेक्षण कार्य कराये जाने हेतु एक वर्ष की अभिवृद्धि की गई है, जिसका अनुमोदन कराये जाने हेतु प्रस्तुत है। संलग्न :- टिप्पणी क्रमिक।	अनुमोदन किया गया।
13	प्रस्ताव संख्या-13 NIC, जयपुर द्वारा रा.मा.शि.प. के अनुमोदन के पश्चात् रमसा वेबपोर्टल का निर्माण किया। रमसा वेबपोर्टल के अन्तर्गत रमसा डायनेमिक वेबसाइट एवं रमसा की विभिन्न स्कीमों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग मॉड्यूल विकसित किए जाने के अलावा श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय के निर्देशन में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में शालादर्पण ऑनलाइन इन्फोरमेशन सिस्टम का विकास किया गया है। जिसके तहत NIC जयपुर द्वारा राज्य के करीब 14291 विद्यालयों की आधारभूत सूचना के साथ करीब 45 लाख विद्यार्थियों की विस्तृत जानकारी तथा लगभग 2 लाख 13 हजार कार्मिकों का व्यक्तिगत तथा सेवा विवरण अद्यतन ऑनलाइन डेटाबेस में उपलब्ध हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों, कार्मिकों, विद्यार्थियों की RMSA Webportal के शाला दर्पण लिंक पर उपलब्ध समयपरक, ड्रिल्डाउन रिपोर्ट्स की सहायता से रमसा की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं संचालन विश्वसनीय रूप में सम्भव हो पा रहा है। (1) रमसा वेबपोर्टल के अन्तर्गत शाला दर्पण में कार्यों की समय परक मॉनिटरिंग फील्ड सहायता एवं नये मॉड्यूल के निर्माण हेतु NIC से पूर्व में प्रोजेक्ट प्रस्ताव लिया गया था। अतः अब आगामी दो वर्षों के लिए NIC से प्रोजेक्ट प्रस्ताव हेतु लिखा जा चुका है। (2) वर्तमान सत्र 2018-19 में NIC -राजस्थान स्तर पर रमसा वेबपोर्टल अन्तर्गत शाला दर्पण पर Annexure -A में वर्णित कार्य किया जाना	अनुमोदन किया गया।

Handwritten signature/initials

प्रस्तावित है । NIC-RMSA Cell से चर्चा के अनुसार डवलपमेंट, तकनीकी सपोर्ट, SMS एवं शाला दर्पण प्रकोष्ठ के सुदृढिकरण पर, करीब रुपये 88.50 लाख रुपये व्यय होना प्रस्तावित है।

Cost Estimates for RMSA WebPortal Portal Year 2018-19 :-

S. No.	Description	Amount (in Lacs)
1	Customization and Technical Support for already roll-out modules	30.00
2	Design, Development and Implementation of New Modules under ShaalaDarpan	30.00
3	Technical Support through Help Centre (Jaipur-RMSA site)	08.00
4	SMS Support	15.00
5	Application Security Audit	02.50
6	Contingency	01.50
7	NICSI Service Charges	01.50
	Total	88.50

अतः प्रस्ताव निष्पादन समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

[Handwritten signature]